न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम

7/24

मु0न0:– 25/2023

उनवानः– गिर्राज बनाम विशम्भर वगै0

पत्रावली पेश हुई, उभयपक्ष वकील उपस्थित, सायल वकील ने प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो का दोहरान करते हुये कथन किया कि, वर्णित आराजीयात मे सायलान 1/3 हिस्से एवं शेष भूमि सायलान के परिजनो के नाम खातेदारी आराजी दर्ज रिकार्ड है। मौके पर सायलान एवं परिजन खातेदारो द्वारा बाहमी बटवारा कर रखा है। जिसमे वर्णित आराजीयात मे से ख0न0 1430 रकवा 0.30 है0 सायलान के हिस्से मे आयी है। परन्तु गैरसायलान सायलान की कब्जे व हिस्से की भूमि ख0न0 1430 रकवा 0.30 है0 से किसी प्रकार का संबध नही है। सायलान का प्राईमाफेसी केस बखूबी साबित है। अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार कर दिनांक 10.04.2023 को जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को कन्फर्म किया जावे।

गैरसायलान वकील ने जबाब प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो का दोहरान करते हुये कथन किया कि प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजी मे से ख0न0 1430 सायलान के हिस्से मे नही आया, ख0न0 1430 सायलान हजारी के कब्जे मे थी जो खातेदार हजारी ने गैरसायलान विशम्भर को दिनांक 13.08.1999 को बेचान कर दी गई थी तभी से गैरसायलान काबिज होकर काश्त कर रहे है। अतः जबाब प्रार्थना पत्र पेश कर अर्ज है कि प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज फरमाया जावे।

उभयपक्ष वकील की बहस पर मनन किया पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली मे शामिल ग्राम डौरावली की जमाबन्दी सम्वत 2073–76 के खाता न0 261 मे कुल किता 03 कुल रकवा 0.58 है0, मे सायलान 1/3 हिस्से के खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। शेष हिस्से मे अन्य सहखातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है, लेकिन गैरसायलान खातेदार दर्ज रिकार्ड नही है। गैरसायलान मे अपने जबाब व बहस मे कथन किया है कि खातेदार हजारी से गैरसायलान विशम्भर ने ख0न0 1430 क्रय किया है लेकिन गैरसायलान ने पत्रावली मे क्रय किये जाने का कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नही किये जाने से प्राईमाफेसी केस सायलान के पक्ष मे साबित होने से सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

आदेश

अतः न्यायालय हाजा द्वारा जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांकः– 10.04.2023 को ता दावा फैसला कन्फर्म किया जाता है अर्थात ग्राम डौरावली की आराजी ख0न0 1430 रकवा 0.30 है0 मे ता दावा फैसला रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

निर्णय आज दिनांक 31.07.2024 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

पत्रावली फैशल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

(सुनीता मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.09.10 11:08:46 IST
Reason: SelfAttested